

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या :500 से 503 / 2014..... जिला : भीलवाडा
उनवान मैसर्स मधु सेल्स एजेन्सी, भीलवाडा बनाम वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए																														
23.04.2014	<p style="text-align: center;">रुपरेखा श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्री अमर सिंह, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री ओ.पी.माहेश्वरी एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थन पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 155/वैट/2010-11, 156/वैट/2011-12, 157/वैट/2012-13 एवं 158/वैट/2013-14 में संयुक्तादेश दिनांक 27.03.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2010-11, से 2013-14 तक के कर निर्धारण अधिनियम की धारा 25,55,65 एवं 61 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 06.02.2014 को पारित निम्न तालिका के अनुसार कायम की गई मांग राशियों में से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशियों को स्थगित रखते हुए शेष कर एवं ब्याज राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>अ.सं.</th> <th>कर</th> <th>ब्याज</th> <th>शास्ति</th> <th>कुल राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 / 14</td> <td>1,12,642/-</td> <td>43,930/-</td> <td>2,25,284/-</td> <td>3,81,856/-</td> </tr> <tr> <td>501 / 14</td> <td>1,11,678/-</td> <td>30,153/-</td> <td>2,23,356/-</td> <td>3,65,187/-</td> </tr> <tr> <td>502 / 14</td> <td>3,32,888/-</td> <td>49,933/-</td> <td>6,65,776/-</td> <td>10,48,597/-</td> </tr> <tr> <td>503 / 14</td> <td>22,255/-</td> <td>1335/-</td> <td>44,510/-</td> <td>68,100/-</td> </tr> <tr> <td>कुल राशि</td> <td>5,79,463/-</td> <td>1,25,351/-</td> <td>11,58,926/-</td> <td>18,63,740/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में कथन किया गया है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा विकीत माल ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी व चॉकलेट के विक्रय का कारोबार किया जाता है, जिस पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी को 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर उपरोक्त तालिका के अनुसारी कर एवं ब्याज आरोपित किया है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज राशियों के स्थगित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में आदेश में कोई विवरण अंकित नहीं किया है। अतः आरोपित कर एवं ब्याज को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>प्रत्यर्थी-पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों का विरोध किया गया।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे ज्ञात होता है कि विकीत माल ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी में कर दर का प्रश्न अपीलों में अंतर्गत (involve) है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया आंशिक सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में बनता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत शेष वसूली योग्य कुलं कर रु. 5,79,463/- एवं ब्याज रु. 1,25,351/- की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के <u>तीन माह</u> में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(अमर सिंह) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">(सुनील शर्मा) सदस्य</p>	अ.सं.	कर	ब्याज	शास्ति	कुल राशि	500 / 14	1,12,642/-	43,930/-	2,25,284/-	3,81,856/-	501 / 14	1,11,678/-	30,153/-	2,23,356/-	3,65,187/-	502 / 14	3,32,888/-	49,933/-	6,65,776/-	10,48,597/-	503 / 14	22,255/-	1335/-	44,510/-	68,100/-	कुल राशि	5,79,463/-	1,25,351/-	11,58,926/-	18,63,740/-	
अ.सं.	कर	ब्याज	शास्ति	कुल राशि																												
500 / 14	1,12,642/-	43,930/-	2,25,284/-	3,81,856/-																												
501 / 14	1,11,678/-	30,153/-	2,23,356/-	3,65,187/-																												
502 / 14	3,32,888/-	49,933/-	6,65,776/-	10,48,597/-																												
503 / 14	22,255/-	1335/-	44,510/-	68,100/-																												
कुल राशि	5,79,463/-	1,25,351/-	11,58,926/-	18,63,740/-																												